5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

रिव्यु - 3142 - II - 16

पुर्नविलोकन क / 2016

1. शकुन्तला बाई पुत्री स्व0 भागीरथ पत्नि स्व श्री भगवानदयाल समाधिया निवासी तलावली चान्दां इन्दौर म.प्र.
2. कुसुम पत्नि राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट वाजना तहसील माठ जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

.........आवेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन, अभि० द्वारा आज दि. 14-9-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-9-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. नवीन समाधिया पुत्र स्व श्री सूरज प्रसाद
2. अनिल कुमार स्व श्री सूरज प्रसाद
3. संतोष कुमार आ0 श्री सूरज प्रसाद
4. श्रीमती रेखा विधवा गिरिश समाधिया
5. राहुल समाधिया आयु 14 साल पुत्र स्व श्री गिरीश समाधिया
6. अभिषेक पुत्र स्व श्री गिरीश समाधिया आयु 12 साल पुत्र स्व श्री गिरीश समाधिया क 5 व 6 अवयस्क द्वारा संरक्षक माता रेखा समाधिया सभी निवासी पुराना बस स्टेण्ड गंज सीहोर तहसील जिला सीहोर म.प्र. ।

..........अनावेदकगण

14-9-16

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता , 1959 की धारा 51 के तहत विरूद्ध राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क 1585 / दो / 2016 सीहोर में पारित आदेश दिनांक 22.8.2016(सदस्य श्री के0सी0जैन साहब) के विरूद्ध ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर महोदय सीहोर जिला सीहोर के प्रकरण क 05 / अपील / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय के समक्ष निगरानी क 1585 / दो / 2016 दिनांक 17–3–2016 को प्रस्तुत की गई जिस निगरानी में वगैर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वुलाये वगैर हितवद्ध पक्षकार को सूचना व सुनवाई का मोका दिये वगैर नियम व कानून के विपरीत जाकर प्रथम सुनवाई मे ही

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू ~~344~~ 3142–दो/16 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 –11–16	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 3142–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 22–8–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेष पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	